प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2022

विषय:- जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुनीत विजय विक्रम पुत्र श्री विद्याराम, निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34853/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.10.2021) दिनांक-02.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुनीत विजय विक्रम पुत्र श्री विद्याराम, महौब्बतपुर लभौआ, थाना-करहल, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 16.02.2004 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर व असलहों की बटों से मुंह व सिर पर चोटें पहुँचाकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-480/2005 भा0द0सं0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 18.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2021 तक 16 वर्ष 01 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.10.2021 में पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी से साक्षात्कार, अपराधिक स्थिति एवं पुलिस रिपोर्ट के विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने व जेल से रिहा होने के पश्चात् अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 10 बिन्दुओं की आख्या में उक्त वाद के अतिरिक्त अन्य वाद लम्बित होने, जमानत आदि की अवधि में गतिविधियां और आचरण ठीक नहीं रहने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बंदी को रिहा करने पर मृतकों के परिजनों में रोष उत्पन्न होने एवं पुन: हत्या जैसी संगीन घटना घटित होने की सम्भावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 16.02.2004 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर व असलहों की बटों से मुंह व सिर पर चोटें पहुँचाकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुनीत विजय विक्रम पुत्र श्री विद्याराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-5341/2021 पुनीत यादव विक्रम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुनीत विजय विक्रम (बन्दी संख्या-109/2018) पुत्र श्री विद्याराम, निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-02/2022/2375(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक निबन्धक, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-13832/2021/SEC-II, दिनांक 06.09.2021 के सन्दर्भ में।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, एटा।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-02/2022/2375/22-2-2021-21(59)/2021

दिनांक 26 अप्रैल, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुनीत विजय विक्रम पुत्र श्री विद्याराम, महौब्बतपुर लभौआ, थाना-करहल, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 16.02.2004 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर व असलहों की बटों से मुंह व सिर पर चोटें पहुँचाकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-480/2005 भा0द0सं0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 18.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2021 तक 16 वर्ष 01 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.10.2021 में पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी से साक्षात्कार, अपराधिक स्थिति एवं पुलिस रिपोर्ट के विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने व जेल से रिहा होने के पश्चात् अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 10 बिन्दुओं की आख्या में उक्त वाद के अतिरिक्त अन्य वाद लम्बित होने, जमानत आदि की अवधि में गतिविधियां और आचरण ठीक नहीं रहने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बंदी को रिहा करने पर मृतकों के परिजनों में रोष उत्पन्न होने एवं पुन: हत्या जैसी संगीन घटना घटित होने की सम्भावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 16.02.2004 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर व असलहों की बटों से मुंह व सिर पर चोटें पहुँचाकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुनीत विजय विक्रम पुत्र श्री विद्याराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in